तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन अध्ययन किया गया। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 94 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. शैतानसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
   जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. प्रतापाराम पुत्र रतनाराम
2. जोराराम पुत्र खंगाराराम
3. चेनाराम पुत्र मोतीराम
4. गेनाराम पुत्र मांगाराम
5. टीकमाराम पुत्र मांगाराम
6. भगाराम पुत्र मांगाराम
7. मसरराम पुत्र मांगाराम
8. वरजू पत्नी मांगाराम
9. वोहताराम पुत्र मांगाराम
   जाति कलबी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
10. उम्मेदसिंह पुत्र भीखसिंह
    जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
11. आईदानसिंह पुत्र तगसिंह
12. धूंखसिंह पुत्र तगसिंह
13. भीखीकंवर पत्नी तगसिंह
    जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
14. सोनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी आलपुरा
15. जमनादेवी पत्नी गिरधारीलाल
16. दिनेशकुमार पुत्र केसरीमल
17. प्रकाशचन्द पुत्र केसरीमल
18. परसमल पुत्र केसरीमल
19. मूलचन्द पुत्र गिरधारीलाल
20. विकम पुत्र गिरधारीलाल
    जाति सेवक निवासी गुड़ामालानी
21. जगाराम पुत्र लिछमणाराम
22. माहिंगाराम पुत्र चेलाराम
    जाति पुरोहित निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने यह प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु [illegible] गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2076—2079 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 10.7403 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 10.7403 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24/1/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी